(120)

संख्या–75/XVI-2/12/7(40)/10

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर–चमोली।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 21 मार्च 2012

विषयः–जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर में हर्बल एनालेटिकल लैब परियोजनान्तर्गत प्रयोगशाला भवन के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1110/ज0बू0सं0/2–9/2011–12,दिनांक 07–02–2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर में हर्बल एनालेटिकल लैब परियोजनान्तर्गत प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार (एपीडा) से प्राप्त कुल धनराशि ₹70.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 के द्वारा ₹87.00 हजार की धनराशि पूर्व में निर्गत की जा चूकी है तथा द्वितीय चरण हेतु प्रस्तुत आगणन टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित ₹70.12 लाख के बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹69.13(₹उनहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक स्वीकृति कि श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

(3) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(6) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

(7) मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय इस कार्य हेतु वर्ष 2008–09 में एपीडा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से वहन किया जायेगा। प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य एपीडा द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जाये, क्योकि राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–75(1)/XVI/12/7(40)/10, तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,उद्यान भवन, चौबटिया
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राज्य औषधीय पादप बोर्ड,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5– जिलाधिकारी,गापेश्वर,चमोली उत्तराखण्ड।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,गोपेश्वर–चमोली।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर,देहरादून।
8– अधिशासी अभियन्ता,नलकूप खण्ड,देहरादून।
9– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।